पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 159 / 2017

1. फरियाद हुसैन उर्फ फलाद हुसैन पुत्र श्री बागअली खां जाति मुसलमान उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— — वादी

–:: बनाम ::–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

— — प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् धारा 136 एल.आर. एक्ट अधिनियम बाबत दुरूस्ती

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता — वादी

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 20.11.2017

वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् धारा 136 एल.आर. एक्ट अधिनियम बाबत दरूस्ती के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 10 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के संयुक्त खाता संख्या 37 / 35 के मुरब्बा नम्बर 20, 21, 51 की कुल 12.398 हैक्टयर नहरी / बारानी मय खाला कृषि भूमि में से 3.718 हैक्टयर कृषि भूमि वादी के नाम (फरियाद हुसैन पुत्र श्री बागअली खां) से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है।

उक्त कृषि भूमि वादी के पिता श्री बागअली खां द्वारा जरिये विभाजन दी गई है। उक्त विभाजन के समय कृषि भूमि के रिकार्ड में वादी का घरेलू नाम फलाद हुसैन पुत्र बागअली खां अंकित कर दिया, जबकि वादी ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड आदि में तथा वादी के पुत्र आदिल खां के शैक्षणिक दस्तावेजों में भी वादी का नाम फरियाद हुसैन अंकित है जबकि कृषि भूमि के रिकार्ड में अंकित फलाद हुसैन पुत्र बाग अली खां वादी का ही नाम है तथा एक ही व्यक्ति है।

वादी ने दिनांक 01.08.2017 को प्रतिवादी के समक्ष अपनी समस्त वस्तुस्थिती से अवगत करवाते हुए राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतू निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी ने श्रीमान जी न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर नाम दुरूस्त करवाने हेतू हिदायत दी, बस यही वाद कारण है इसलिए वादी को उक्त दावा हाजा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादी नेकनीयत है वादी क्लीन हैण्ड से उक्त दावा पेश कर रहा है।

प्रतिवादी लैण्ड होल्डर है एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करता है इसलिए पक्षकार बनाया गया है।

लिहाजा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :–

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की और से पैरोकाराज/नायब तहसीलदार, हिन्दुमलकोट द्वारा जबाब पेश किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वाद पत्र वादी के नाम दुरूस्ती का है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। जिसको सिद्ध करनें का भार स्वंय वादी का है। अतः राज्य हितों को मध्य नजर रखते हुए निर्णय फरमाया जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वाद वादी पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

-:: आदेश ::-

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के सपठित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत चक 10 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069-2072 के खाता संख्या 37/35 के मुरब्बा नम्बर 20, 21, 51 की 12.398 हैक्टर नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी (फलाद हुसैन पुत्र बाग अली खां) के अंकन को दुरूस्त किया जाकर "फरियाद हुसैन पुत्र बागअली खां" अंकित करने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन) तथा हिस्सा कस्सी पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक **20.11.2017** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर